भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL CANCELLED

NOTARY S.S. Khan ADVOCATE AREA PROPER AZAMGARH U.P. Regd. No. 44(5) 96 UNION OF INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 505332

(प्रारूप– "अ")

सत्र 2023–24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्ट सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ–पत्र का प्रारूप

NOTARY

हम रामप्रताप यादव, एव विशाल प्रताप यादव कमशः अध्यक्ष एवं सचिव बैजनाथ रामनरेश इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलाजी शोध एवं प्रशिक्षण ट्रस्ट शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते है।–

1. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा बैजनाथ रामनरेश कालेज आफ फार्मेसी काजीपुर चिरैयाकोट –आजमगढ़ नामित डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम बैजनाथ रामनरेश्ष इस्टीटयुट आफ टेक्नोलाजी शोध एंव प्रशिक्षण ट्रस्ट में गांटा संख्या 612 रकबा 1773. 68 (2 एकड) 2.8480 हक्टेयर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।

NOTARY S.S. Khan ADVOCATE AREA PROPER AZAMGARH U.P. Regd. No. 44(5) 96 UNION OF INDIA

कोषागार

TR - 4

6 JUL 2023

SR T.O.

4. यह कि उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 612 एवं रकबा 1473 (2 एकड़) 2.8480 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ ट्रस्ट की बैठक दिनांक 20/07/2019 ,द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ ट्रस्ट के नाम भूमि एंव उस पर निर्मित एंव निर्धारित भवनो को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एंव इस पर निर्मित भवनो पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमो के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्व पाठयकम एंव प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठयकम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनो में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एंव प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्व संस्था एंव पाठयकमो के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/ विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्व कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व मे कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओ एंव कार्यशालाओ आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एंव प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानको के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एंव अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशो/ आदेशो का भलीभाति पालन करूँगा। यदि मेंरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एंव सम्बद्वता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेंरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जायेगी।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रुप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एंव अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कुटरहित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्व परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मै स्वयं उत्तरदायी होऊगा।

S.S. ... ADVOCATE AREA ... AZAMGARH U.P. Regd. No. ... OF INDIA

विशाल प्रताप

ह0 सचिव

ह0 अध्यक्ष